न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 47 ए/2016

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 किसनाराम पुत्र गणेशजी जाति राईका निवासी चण्डावल नगर		1 श्रवण कुमार 2 राजेन्द्र कुमार पि0 गोरधनलाल जाति देवासी निवासी चण्डावल 3 ग्राम पंचायत चण्डावल जरिये सरपंच ग्राम पंचातय चण्डावल

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री राजेश चौधरी, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2

–: निर्णय :–

दिनांक 20/12/2017

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत चण्डावल द्वारा मिसल संख्या 34/1998–99 में पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.04.2002 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 005 दिनांक 05.04.2002 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत चण्डावल ने जैर निगरानी मिसल के जरिये अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में 2994.75 वर्गफीट भूमि का जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, जबकि इस नाप का पट्टा जारी करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा कोई आवेदन पेश नही किया तथा न ही ग्राम पंचायत द्वारा इस अनुरूप कोई मिसल तैयार की। ग्राम पंचायत के समक्ष गोरधनलाल पुत्र पोकरराम देवासी द्वारा दिनांक 18.05.1998 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा आवेदन में वांछित भूमि के दक्षिण में स्वयं का पट्टासुदा मकान होना अंकित किया। जिस पर दिनांक 01.04.1999 को मिसल कायम की गई तथा ग्रुप सचिव को नक्शा बनाकर पेश करने हेतु आदेशित किया। उक्त नक्शा अनुसार 3 पंचों की मौका रिपोर्ट का निरीक्षण प्रपत्र ही पत्रावली पर दर्ज है। इसके पश्चात आपत्ति आमन्त्रित करने का नोटिस जारी करने का इन्द्राज है। बयान गवाह फार्म, आपत्ति आमन्त्रित करने की सूचना तथा आबादी निरीक्षण का प्रपत्र एवं ग्रुप सचिव के नक्शे बाबत कार्यवाही की लिखत स्वयं गोरधनलाल देवासी की हस्तलिपी में है तथा शेष कार्यवाही अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी गई है। जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह प्रस्ताव पंचायत के कोरम में पारित ही नही हुआ है। समस्त कार्यवाही विधि विरूद्ध रूप से मिलावट करते हुए की गई है। उक्त सुनियोजित योजना अनुसार फर्जी पट्टा तैयार करते हुए मौके पर भूमि को हड़प करने की नियत से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने नाम फर्जी तरीके से तैयार किया तथा फर्जी पट्टे के आधार पर रास्ते की भूमि को रोकने का प्रयास किया।

अति. जिला कलक्टर, पाली

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता व दादा पोकरराम पुत्र भीवाजी राईका, गोरधनलाल पुत्र पोकरराम देवासी के नाम पट्टा संख्या 9/64–65 का जारी सुदा है, जिसके उत्तर में राईका बादरजी का मकान, उसके पूर्व में 3 फुट नेवों की गली छोडकर सीरवी मूला का मकान, दक्षिण में बने हुए मकान से दक्षिण में 10 फुट की गली व नोहरे के दक्षिण में देवासी गुणेश का नोहरा, पूर्व में 3 फुट नेवों की गली छोडकर गुमना सीरवी का मकान एवं पश्चिम में गुणेश का मकान, जिसके बीच 10 फुट की गली व आगे गुर्जर चोक अंकित है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने बादरजी के मकान को हडप करने की नियत से एवं रास्ते की भूमि को हडपने की नियत से उत्तर दिशा में स्थिति शैतानराम देवासी के मकान तक समस्त भूमि को हडपने की नियत से जैर निगरानी मिसल में गोरधन देवासी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया तथा षडयन्त्र पूर्वक कार्यवाही करते हुए तत्कालीन सरपंच से मिलावट कर एक ही दिन में सारी कार्यवाही पूर्ण कर जेर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। इस कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नही है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नही है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता गोरधनलाल पुत्र पोकरराम द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत चण्डावल नगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहवासी मकान का पट्टा जारी कराने का निवेदन किया, जिस पर पंचायत द्वारा मिसल कायम करते हुए नियमों में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए दिनांक 18.11.1999 को नियम 157 के तहत पटटा जारी करने के आदेश पारित किये, किन्तु राशि जमा नही कराये जाने के कारण पट्टा जारी नही किया गया। इसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता फौत हो जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की माता की सहमति के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा राशि जमा कराने पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है। उक्त भूमि कतई रास्ते अथवा सार्वजनिक भूमि नही है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञात्मक आज्ञा हेतु सिविल जज सोजत के सक्षम वाद प्रस्तुत किया, जिसमें प्रार्थी द्वारा काउण्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध किशनाराम द्वारा माननीय अपर जिला न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे भी माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा रास्ते की भूमि का कोई पट्टा जारी नही किया गया है। रास्ता आज भी मोके पर खुला है, जो सिविल न्यायालय में प्रस्तुत कमिश्नर रिपोर्ट से बखूबी प्रमाणित है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जारी पट्टे के आगे रास्ते की भूमि आई हुई स्थित है, जो आज भी मौके पर कायम है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नही है। अतः निगरानी खारिज करावे।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के प्रत्युत्तर में कथन किया कि सिविल न्यायालय में अप्रार्थी द्वारा दावा किया गया था, किन्तु पट्टे की विधिकता देखने का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को न होकर इस न्यायालय को है। मौके

पर भूमि खाली पडी है तथा भूमि रास्ते की होने से पंचायत को उक्त भूमि पर पट्टा जारी करने का अधिकार ही नही था। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत चण्डावल द्वारा मिसल संख्या 34/1998–99 में पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.04.2002 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 005 दिनांक 05.04.2002 के विरूद्ध पेश की गई है। जैर निगरानी पट्टे की मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत चण्डावल नगर के समक्ष गोरधनलाल पुत्र पोकरराम जाति देवासी निवासी चण्डावल द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने रहवासी मकान का पट्टा बनाने हेतु निवेदन किया। उक्त आवेदन पत्र में वांछित भूमि के जो हदूद दर्ज किये, उसके अनुसार पश्चिम में आम रास्ता बाजार में जाने का, पूर्व में सीरवी भूराराम का मकान, उत्तर में शैतानराम पुत्र पूसाराम देवासी का बाडा तथा दक्षिण में प्रार्थी का पट्टासुदा रहवासी मकान होना अंकित किया है। उक्त प्रार्थना पत्र पर सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन दर्ज रजिस्टर कर नियम 145 (3) के तहत सचिव को नक्शा बनाकर पत्रावली आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के आदेश दिये। उक्त मिसल पर अंकित तथ्यों अनुसार आवेदन पत्र के साथ गोरधनलाल द्वारा आवेदन शुल्क व अन्य शुल्क बाबत 60/– रूपये जमा करवाये गये। इस पर दिनांक 01.04.1999 को मिसल दर्ज रजिस्टर की जाकर सचिव को नक्शा बनाने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश की पालना में ग्राम सेवक द्वारा नक्शा तैयार किया गया, जिसमें भूमि का क्षैत्रफल 2994 वर्गफुट अंकित है। इसके पश्चात बैठक दिनांक 20.04.1999 को नक्शा प्रस्तुत होने पर मनोनीत सदस्यों को मोका निरीक्षण करने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश की पालना में तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें प्रकरण विनियमितिकरण का मानते हुए एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया। इसके पश्चात आदेशिका दिनांक 28.04.1999 के जरिये 30 दिन का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किये गये। इसी दिन आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, जो दो व्यक्तियों की उपस्थित में चस्पा किया गया। निर्धारित अवधि पूर्ण होने पर दिनांक 03.06.199 को दो गवाहों के बयान कलमबद्ध करने के आदेश पारित किये। जिसकी पालना में दिनांक 10.06.1999 को दो गवाह शैतानराम व मंगलाराम के बयान कलमबद्ध किये गये। इसके पश्चात पत्रावली वास्ते आदेश नियत की गई। पंचायत की बैठक दिनाक 18.11.1999 को पंचायत द्वारा नियम 157 के तहत 200/– रूपये जमा करवाने पर गोरधनलाल पुत्र पोकरराम के नाम पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये। इसके पश्चात दिनांक 05.03.2002 को हंजादेवी पत्नि गोरधनलाल ने पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके पति गोरधनलाल द्वारा मकान का पट्टा बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें निर्णय भी पारित हो चुका है तथा राशि जमा करवाने की सूचना प्रदान की गई है। गोरधनलाल का स्वर्गवास हो जाने के कारण अपने पुत्र श्रवण कुमार व राजेन्द्र कुमार के नाम पट्टा जारी कराने का निवेदन किया। इस पर पंचायत द्वारा बैठक दिनांक 05.04.2002 को कोरम की सहमति के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है।

अति. जिला कलेक्टर, सलूम्बर

प्रार्थी द्वारा अपनी निगरानी में यह उज्र किया कि आवेदन पत्र गोरधनलाल द्वारा प्रस्तुत किया तथा पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम जारी किया गया है, जो गलत है। इस सम्बन्ध में हमारा मत यह है कि यह स्वीकृत तथ्य है कि आवेदन पत्र गोरधनलाल द्वारा प्रस्तुत किया तथा इसके पश्चात पट्टा जारी करने का जो आदेश पारित हुआ है, वह भी गोरधनलाल के नाम जारी किया गया है, किन्तु गोरधनलाल द्वारा देय राशि जमा नही होने पर पट्टा जारी नही किया गया तथा उसके पश्चात गोरधनलाल फौत हो जाने के कारण उसकी पत्नि द्वारा अपने पुत्रों के नाम से पट्टा जारी करने का निवेदन करने पर पंचायत द्वारा सद्भाविक रूप से कोरम में प्रस्ताव पारित करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करने का आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही पाई जाती है। अब रहा प्रश्न यह कि उक्त भूमि, जिस पर पट्टा जारी किया गया है, वह रास्ते की अथवा सार्वजनिक चौक की है या नही ? प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 3 में पोकरराम पुत्र भीवाजी, गोरधनलाल पुत्र पोकरराम के पट्टे संख्या 9/64–65 के पडौस का जो अंकन किया गया है, उसके अनुसार दक्षिण में बने मकान से दक्षिण में 10 फुट की गली व नोहरे के दक्षिण में देवासी गुणेश का नोहरा अंकित है। जैर निगरानी पट्टे के जो पडौस दर्ज है, उसका पट्टा संख्या 9/64–65 के पडौस से मिलान करने पर यह प्रकट होता है कि जैर निगरानी पट्टे के दक्षिण में गोरधनलाल देवासी का पट्टासुदा मकान एवं सामलाती रास्ता अंकित है, जो कि पट्टा संख्या 9/64–65 के सन्दर्भ में है। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के संलग्न नक्शा में जो मार्क ए.बी.सी.डी. दर्शाते हुए उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अतिक्रमण करने का जो कथन किया है, वह जैर निगरानी पट्टे में अपनाई गई प्रक्रिया एवं उसकी विधिकता को किस रूप में प्रभावित करता है अथवा जैर निगरानी पट्टे की भूमि को किस रूप से रेखांकित करता है, यह तथ्य स्पष्ट नही है। जिस भूमि पर प्रार्थी अप्रार्थी का अतिक्रमण बताते है, वह भूमि अनुसूची के अनुसार गोरधनलाल के पट्टासुदा मकान के पश्चिम में दर्शाई गई है एवं तथाकथित रूप से उक्त अतिक्रमण किया भी गया हो तो, इस न्यायालय द्वारा न तो इसे रेखांकित किया जा सकता है तथा न ही उस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी की जा सकती है। इस हेतु नियमों में पृथक से प्रावधान उपलब्ध है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत इस न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्व–प्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहीयों के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख, उनमें पारित किसी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहीयों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिये मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए, तो वह तद्नुसार आदेश पारित कर सकेगी। हस्तगत प्रकरण में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत पट्टा जारी किया गया है। नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण के प्रावधान है, जिसमें 50 वर्ष से

अधिकार पूर्व के निर्मित मकानों हेतु 100/– रूपये एवं इन नियमों के लागू होने की तिथि को 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानो हेतु 200/– रूपये जमा कराने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। हस्तगत प्रकरण राजस्थान पंचायती राज नियम 157 (ख) की परिधि में आने से जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह विधि सम्मत पाया जाता है। चूंकि जहां तक पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का प्रश्न है, तो हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की प्रक्रियागत त्रुटी नही पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत चण्डावल द्वारा मिसल संख्या 34/1998–99 में पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.04.2002 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 005 दिनांक 05.04.2002 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 20/4/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली